कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा (राज.)

क्रमांक– एफ 10( )गोप./कोविको/2023/ दिनांक–

प्राचार्य/केन्द्राधीक्षक
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
.....
.....

विषय–स्नातक एवं स्नातकोत्तर–व्यावसायिक/तकनीकी/सेमेस्टर पाठ्यक्रमों की प्रायोगिक परीक्षा–2023 हेतु आवश्यक निर्देश।

महोदय/महोदया,

इस पत्र के साथ आपके महाविद्यालय में वर्ष 2023 की प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु माननीया कुलपति महोदया द्वारा अनुमोदित बाह्य परीक्षकों की सूची भेजी जा रही है। कृपया बाह्य परीक्षकों से शीघ्रातीशीघ्र पत्र/दूरभाष द्वारा सम्पर्क कर परीक्षा के लिये परस्पर सहमति के आधार पर दिनांक व समय नियत कर इसकी सूचना परीक्षार्थी की जानकारी के लिये महाविद्यालय के सूचनापट्ट पर लगवा दें। विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2023 की प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.uok.ac.in अथवा www.univexam.org/Uok/ पर कॉलेज पेनल पर लॉगीन कर ऑनलाईन अंक भरवाये जाने हैं। विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के लिए परीक्षकों का पेनल आपके महाविद्यालय की ई–मेल आईडी पर ई–मेल कर दिया गया है, **विश्वविद्यालय द्वारा भिजवाये गये पैनल में आपके स्तर पर किसी प्रकार का परिवर्तन विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। यदि आपके द्वारा परीक्षकों के पैनल में किसी प्रकार का कोई फेरबदल आपके स्तर पर किया जाता है, तो वह मान्य नहीं होगा, साथ ही आपके महाविद्यालय पर विश्वविद्यालय शास्ती लगाने के लिए स्वतंत्र होगा।** प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक ऑनलाईन प्रविष्ट करने सम्बन्धी निर्देश पृथक से पत्र के साथ सलंग्न कर भिजवाये जा रहे हैं।

विगत वर्ष की भांति प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक विश्वविद्यालय पोर्टल पर ऑनलाईन भरा जाना है। जिसके सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रायोगिक परीक्षा के अंक प्रविष्ठ किये जाने हैं:–

1. आपके महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा/आन्तरिक मूल्यांकन के अंक ऑनलाईन भरे जाने हैं, जिसके लिए आप विश्वविद्यालय पोर्टल पर दर्शाए गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही अंकों को ऑनलाईन दर्ज करें। सम्बन्धित महाविद्यालय ऑनलाईन अंक प्रविष्ठ करने का कार्य सावधानीपूर्वक करें एवं **एक बार ऑनलाईन अंक सबमिट करने के बाद किसी भी स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकेगा।** प्रायोगिक परीक्षा सम्पादित होने के पश्चात् बाह्य परीक्षक द्वारा परीक्षार्थी को प्रदत्त अंकों को ऑनलाईन भरकर उसका प्रिन्ट लेकर अंकसूची एवं उपस्थिति सूची पर बाह्य परीक्षक/आन्तरिक परीक्षक द्वारा हस्ताक्षर कर, प्राचार्य द्वारा प्रमाणित कर एक प्रति विश्वविद्यालय में **सहायक कुलसचिव (गोपनीय) के नाम सील बंद लिफाफे में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें** एवं एक प्रति रिकार्ड के रूप में संबंधित महाविद्यालय सीलबंद पैकेट्स में अपने पास सुरक्षित रखेगें।
2. आपके महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र के समस्त परीक्षार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा के अंक भरने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित परीक्षार्थी के जो अंक ऑनलाईन भरे जा रहे हैं, वे उसी विषय

Cont....2

के हैं। उसके उपरान्त ही आप सभी परीक्षार्थियों के अंक ऑनलाईन भरें। यदि आपके द्वारा किसी विषय में परीक्षार्थी के अंक गलत विषय में प्रविष्ठ कर दिये हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा मान्य नहीं होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

3. प्रायः यह देखने में आया है कि कतिपय महाविद्यालयों द्वारा प्रायोगिक परीक्षा की अवार्ड शीट्स भिजवाने के पश्चात्, यहां तक कि परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात् कुछ छात्रों के प्राप्तांक भिजवाये जाते हैं। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की त्रुटि नहीं हो यह सुनिश्चित करावें, अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही एवं शास्ति निर्धारित की जावेगी।

4. बाह्य परीक्षक का नियुक्ति पत्र अथवा परीक्षा सामग्री आदि यदि यथासमय प्राप्त नहीं होती है, अथवा अन्य किसी प्रकार की परेशानी हो तो कृपया कोटा विश्वविद्यालय, कबीर सर्किल के पास, महाराव भीम सिंह मार्ग, कोटा स्थित कार्यालय में परीक्षा नियंत्रक से दूरभाष नं.–0744–2742920 अथवा सहायक कुलसचिव (गोप.) से दूरभाष नं.–0744–2472466 पर सम्पर्क कर सकते है।

अन्य आवश्यक दिशा–निर्देश

1. प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक बेच के अंक परीक्षा सम्पन्न होते ही तत्काल ऑनलाईन सबमिट करना अनिवार्य है।

2. **बाह्य परीक्षक द्वारा लिखित में असहमति जाहिर करने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा बाह्य परीक्षक के पैनल में परिवर्तन किया जाना संभव होगा।**

3. **सम्बन्धित बाह्य परीक्षक (बाह्य परीक्षक को आवंटित समस्त महाविद्यालय) अपने पारिश्रमिक बिल व यात्रा भत्ता बिल मय आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम, बैंक आईएफएससी कोड एवं पेन कार्ड की प्रतिलिपि, पैनल प्रतिलिपि तथा अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेज सम्बन्धित महाविद्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करेगें। सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/केन्द्राधीक्षक द्वारा समस्त प्रायोगिक परीक्षा के समस्त बाह्य परीक्षकों के पारिश्रमिक बिलों व यात्रा भत्ता बिलों को संग्रहित कर, सभी बिलों को प्रमाणित** कर, **"इस बिल का भुगतान महाविद्यालय द्वारा नहीं किया गया है"** अंकित करते हुये भुगतान हेतु **विश्वविद्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। किसी भी बाह्य परीक्षक द्वारा पारिश्रमिक बिल एवं यात्रा भत्ता बिल को सीधे विश्वविद्यालय में भिजवाने पर स्वीकार नहीं किया जावेगा।**

4. परीक्षकों को देय पारिश्रमिक का भुगतान बिल, नियमानुसार तैयार कर आपके द्वारा अग्रेषित कर प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त किया जावेगा। माननीय कुलपति महोदया के आदेशानुसार वित्तीय मित्तव्ययिता को ध्यान में रखते हुये बाह्य परीक्षको को स्वयं की कार अथवा टैक्सी से यात्रा कर भुगतान की अनुमति नही दीं जावेगी। विशेष परिस्थिति में ही बाह्य परीक्षक द्वारा स्वयं की कार/टैक्सी से यात्रा करने की अनुमति हेतु माननीय कुलपति महोदया को यथासमय पहले आवेदन करना होगा और अनुमति स्वीकृत होने पर ही यात्रा सम्पादित कर, यात्रा बिल के साथ अनुमति प्रस्तुत करने पर ही कार से यात्रा का यात्रा बिल, भुगतान किया जा सकेगा।

5. **स्नात्तकोत्तर कक्षाओं के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा हेतु यदि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई बाह्य परीक्षक प्रायोगिक परीक्षा कराने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, अथवा प्रत्युत्तर नहीं देते**

Cont....3

हैं अथवा परीक्षा के समय उपस्थित नहीं होते हैं तो आप उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता को तुरन्त लिखें अथवा दूरभाष न. 0744–2472920 या 0744–2472466 पर सम्पर्क करें। स्नात्तकोत्तर कक्षाओं में किसी भी परिस्थिति में बाह्य परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार विश्वविद्यालय का ही रहेगा।

6. आवश्यक–सभी प्रायोगिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्र बाह्य परीक्षकों द्वारा प्रयोगशाला में परीक्षा के प्रारम्भ होने से पूर्व निर्मित किये जायेगें। स्नातक स्तर की कक्षाओं में बी.ए. में भूगोल विषय में 200 छात्रों तक एवं विज्ञान तथा कला संकाय के अन्य विषयों में 100 छात्रों तक (अधिकतम) एक बाह्य परीक्षक को आवंटित किए जा सकते हैं जिसके लिए केवल एक पेपर निर्माण का पारिश्रमिक देय होगा। स्नात्तकोत्तर स्तर पर एक कक्षा के लिए केवल एक प्रश्न पत्र निर्माण का पारिश्रमिक देय होगा। प्रायः यह देखने में आया है कि कुछ महाविद्यालयों में उक्त निर्धारित संख्या के बैच के स्थान पर कम छात्रों के बैच अलग–अलग दिवसों में बाह्य परीक्षको को बुलाकर प्रायोगिक परीक्षायें सम्पन्न करवायी जाती है जिससे परिणाम में अनावश्यक विलम्ब होता है, अतः निर्धारित संख्या के आधार पर ही बैच बनाकर प्रायोगिक परीक्षायें सम्पन्न करवाई जाये।

7. जहॉ दो अथवा दो से अधिक बाह्य परीक्षक एक कक्षा के लिये नियुक्त है उन छात्रों के बैच का विभाजन विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्राचार्य द्वारा स्वयं किया जायेगा। कृपया यह ध्यान रखें कि बाह्य परीक्षक की नियुक्ति एक से अधिक कक्षा के छात्रों के लिये हो तो सभी कक्षाओं की परीक्षा भी उनकी एक ही यात्रा के दौरान सम्पन्न करवायी जावे।

8. प्रायोगिक परीक्षायें आपकी पूर्ण निगरानी व देख–रेख में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षकों को प्रेषित नियुक्ति पत्र व इस पत्र में उल्लेखित निर्देशानुसार होनी है।

9. ***स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की प्रायोगिक परीक्षायें विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विषयों/ कक्षाओं/पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित समयावधि में ही सम्पन्न करवाया जाना सुनिश्चित करावें।***

10. **सभी प्रायोगिक परीक्षायें सम्पन्न होने पर *विश्वविद्यालय को भेजी जाने वाली* अवार्ड लिस्ट के मुहरबंद लिफाफों को विश्वविद्यालय वाहक अथवा महाविद्यालय वाहक, जो भी संभव हो, के द्वारा परीक्षा समाप्ति के 10 दिवस में परीक्षा नियंत्रक के नाम से कार्यालय परीक्षा नियंत्रक, कोटा विश्वविद्यालय, कबीर सर्किल के पास, महाराव भीम सिंह मार्ग, कोटा स्थित कार्यालय को भिजवायें, साथ ही समस्त प्रायोगिक परीक्षाओं की प्रयुक्त उत्तरपुस्तिकायें कक्षावार/विषयवार बण्डल बनाकर महाविद्यालय वाहक के माध्यम से अथवा जब भी विश्वविद्यालय का वाहन आवे उसे सुपुर्द करें। किसी भी परिस्थिति में प्रयुक्त प्रायोगिक उत्तरपुस्तिकायें महाविद्यालय में न रहें इस बात का अवश्य ध्यान रखा जावे। प्रायोगिक अवार्डशीट के साथ छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थिति प्रपत्र की दो प्रतियां पृथक से अनुभागाधिकारी (गोपनीय) के नाम कक्षावार व विषयवार व्यवस्थित कर प्रेषित करावें।**

उपरोक्त कार्य के समन्वय व सम्पादन में आप यदि आवश्यक समझें तो उपाचार्य अथवा वरिष्ठतम प्राध्यापक की सहायता ले सकते हैं। प्राप्तांक सूचियों को इस कार्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के 10 दिवस में आवश्यक रूप से प्राप्त हो जानी चाहिये। यदि निर्धारित तिथि तक प्राप्तांक विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं होते हैं तो विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों का परीक्षा परिणाम अनुपस्थित करते हुये घोषित कर दिया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

Cont....4

11. पूर्व छात्र/स्वयंपाठी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा हेतु जिन छात्रों ने आपके परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा आवेदन पत्र जमा कराये हैं, उन्हें डाक द्वारा आप प्रायोगिक परीक्षा की तिथियां सूचित करने की भी व्यवस्था करें। उक्त (पूर्व एवं स्वयंपाठी) छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा भी नियमित छात्रों के साथ ही होगी।
12. प्रायोगिक परीक्षायें सम्बन्धित कक्षा के पाठ्यक्रम में दिये गये अंक विभाजन एवं निर्देशानुसार ही सम्पन्न करावें।
13. प्रायोगिक परीक्षा हेतु आवश्यक लॉग टेविल, ग्राफ, ड्राइंग शीट आदि की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की जानी है।
14. ऐसे छात्र जो अपने बैच में अनुपस्थित रहे हैं, उन्हें उनके बाद के बैच में अथवा निर्धारित बैचों की परीक्षा समाप्ति के बाद पृथक से अपने स्तर पर प्रायोगिक परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं करें। ऐसे सभी छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु सूचित करने का श्रम करावें। ताकि विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा की व्यवस्था करवायी जा सके।

भवदीय

संलग्न–ऑनलाईन अंक प्रविष्ट करने सम्बन्धी निर्देश।

-sd-

परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक– एफ 10( )गोप./कोविको/2023/ 432-37 दिनांक–27-04-23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, माननीया कुलपति महोदया, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, को मा. कुलपति महो. के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
3. वित्त नियंत्रक, कोटा विश्वविद्यालय कोटा
4. सहायक कुलसचिव/अनुभागाधिकारी (परीक्षा/गोप.) कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

परीक्षा नियंत्रक